छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी–3, सी 244–245, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, सेक्टर 27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 02/02/17

क्रमांक 50 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना " राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना" में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचना/आदेश को शिथिल करते हुये निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है:–

राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम राजमाता कन्या विवाह सहायता योजना होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत रूपये 20,000/– प्रति विवाह सहायता देय होगी।

(iii) अन्य किन्ही भी योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले विवाह सहायता के अतिरिक्त यह सहायता उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात किसी अन्य योजना का लाभ लेने पर भी इस योजना का लाभ हितग्राही द्वारा लिया जा सकेगा ।

(iv) योजना के प्रावधान अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह अथवा निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिए लागू होगी।

(ii) पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की प्रथम दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करनें की पात्रता होगी।

(iii) योजना के लाभ हेतु आवेदिका का मण्डल में पंजीयन, योजना आवेदन दिनांक से 90 दिन पूर्व होना अनिवार्य होगा ।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) योजना के तहत आवेदन विवाह दिनांक से 90 दिवस तक मान्य किया जावेगा ।

(ii) योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारित के श्रम कार्यालय में समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।

(iii) विवाह के समर्थन हेतु ग्राम पंचायत, नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/विवाह के लिये पंजीकृत सामाजिक संस्था/कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(iv) पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कापी संलग्न कर अनिवार्य होगा ।

(v) योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् 30 कार्यदिवस में करना अनिवार्य होगा ।

(vi) योजना के तहत ऑन लाईन आवेदन करते समय, का नंबर, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाईल नंबर, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vii) आधार नंबर देने की सहमति नियमानुसार देय होगा ।

(द) स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी /श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी ।

(ई) भुगतान की प्रकिया :–

(i) रूपये 20,000 आवेदिका/माता/पिता के खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से स्थांनातरित किया जावेगा ।

(फ) अन्य विवरण :–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

उपरोक्त अधिसूचना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी ।
(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

2/2/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / /2215 - 2225 रायपुर, दिनांक 02/02/17

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. लेखा शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
10. एन आई सी शाखा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
11. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल